इस्लाम धर्म में स्त्रियों के शैक्षिक अधिकार (वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में)

* डॉ0 आयशा फ़ातमी

शिक्षा स्वयं को सभ्य बनाने और निरन्तर प्रगति करने का सशक्त माध्यम है। इससे मनुष्य अपनी बोधक्षमता का विकास कर अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करता है। किसी भी समाज के विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः उनका शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। कहा भी जाता है कि एक बालक के शिक्षित होने से समाज का केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है जबकि एक स्त्री के शिक्षित हो जाने से सम्पूर्ण परिवार शिक्षित तथा सभ्य हो जाता है।

यद्यपि इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और शिक्षा प्राप्ति के लिये लिंग, जाति, आयु आदि का कोई भेद नहीं रखा गया है[1] तथापि व्यवहारिक रूप से भारतीय मुस्लिम समाज में स्त्रियों को शिक्षा के अवसर प्रायः कम ही मिल पाते हैं। इस्लाम धर्म में शिक्षा सबके लिये अनिवार्य घोषित की गई है।[2] पैगम्बर मोहम्मद (स0) स्त्रियों की शिक्षा को सुखद आध्यात्मिक परिणामों का मूल मानते थे। एक स्थान पर है कि पैगम्बर मोहम्मद (स0) ने अपनी दो उंगलियों को एकदम सटाकर कहा कि जो व्यक्ति दो बेटियों को पाए और उनका उचित पालन पोषण कर उन्हें वयस्कावस्था तक पहुँचा दे तो वह कयामत के दिन मुझसे इन दोनों उंगलियों के समान निकट मिलेगा।[3] बेटी तो बेटी, दासी तक को उचित पालन–पोषण और व्यवहारिक शिक्षा देने का संदेश इस्लाम में मिलता है। बुखारी शरीफ[4] में उल्लेख है कि यदि कोई किसी दासी का संरक्षण करता है और व्यवहार कुशल बनाता है और उत्तम शिक्षा देता है, उसे स्वतन्त्र कर देता है और विवाह कर देता है तो उसे उस कृत्य का दोगुना पुण्य मिलता है। एक शिक्षित स्त्री परिवार के वातावरण को ही उत्तम नहीं बनाती अपितु

* वरिष्ठ प्रवक्ता–प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

आने वाली पीढ़ियों को उचित दिशा प्रदान कर सकती है। यह आश्चर्य की ही बात है जिस धर्म में स्त्री शिक्षा पर इतना बल दिया गया है, उसी समाज ने उन्हें शिक्षा के अवसर प्रायः कम ही दिये हैं। इस्लाम धर्म के इतिहास में हज़रत आयशा[5] ने अनेक हदीसों का संकलन किया और हज़रत ख़दीजा[6] अपने समय की प्रसिद्ध महिला व्यवसायी थीं जिन्होंने समय–समय पर पैगम्बर मोहम्मद (स0) की आर्थिक सहायता की। हज़रत सफिया, उम्मे सलमा, उम्मे सलीम ,सईदा नफीसा, उम्मे दरदा आदि मुस्लिम महिलाएँ न केवल शिक्षित थीं वरन् दूसरों की भी प्रेरणा स्त्रोत थी।[7] यह मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है कि इतना उच्चकोटि का शैक्षिक इतिहास रखने वाली महिलाएं आज समाज में हाशिये पर कर दी गई हैं। महिलाओं/बालिकाओं के मध्य शिक्षा का उत्तम प्रसार न होने के अनेक कारण हमारे सम्मुख स्पष्ट हैं जो नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। निर्धनता इनमें सबसे प्रमुख समस्या है। निर्धनता के कारण माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ वहन नहीं कर पाते हैं और परिवार कूपमण्डूक स्थिति में बने रहते हैं। निर्धनता बालश्रम को प्रोत्साहित करती है जो शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। प्रातः उठकर विद्यालय जाने के स्थान पर निर्धन बालिकाएँ अधिकतर माताओं के साथ काम पर चली जाती हैं। भविष्य के जीवन की परवाह किये बिना वह यही प्रक्रिया निरन्तर दुहराती रहती हैं। 'माता–पिता का अशिक्षित होना' भी बालिकाओं की शिक्षा के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। अशिक्षित होने के कारण वे उचित अनुचित का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते और बालिकाओं को शिक्षा हेतु हतोत्साहित करते हैं। वर्तमान में इस्लामी समाज में भी अन्य समुदायों की भाँति लिंग वैषम्य की अवधारणा व्याप्त हो गयी है, यद्यपि इस्लाम में स्त्रियों की समान सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थिति की वकालत की गई है।[8] कुरान में स्थान–स्थान पर संबोधन के लिये स्त्री और पुरुष दोनों का और समस्त मानव जाति का उल्लेख है। यह स्पष्ट है कि मानवजाति का अर्थ स्त्री तथा पुरुष दोनों से है। उदाहरणार्थ पवित्र कुरान की 'सूरेह अलअहज़ाब' में

अल्लाह फरमाता है – "इस्लाम लाने वाले मर्द और औरतों के लिए, ईमान वाले मर्द और औरतों के लिये ..... सच्चे मर्द और औरतों के लिये, धैर्यवान मर्द और औरतों के लिये..... ऐसे लोगों के लिये अल्लाह ने मक्फ़िरत (मोक्ष) और उत्तम ईनाम की व्यवस्था की है।"[9]

कन्या भ्रूण हत्या / कन्याओं की हत्या को इस्लाम में महापाप बताया गया है। कुरान पाक की सुरेह तकवीर में है– "जब कोई लड़की जिन्दा दफ़ना दी जाती है और यह पूछती है कि उसे किस अपराध में कत्ल किया गया।"[10] रोज़ी (जीविका) का उत्तरदायित्व अल्लाह ने स्वयं लिया है और सूरेह अनम में वह निर्देश देता है –" अपने बच्चों को रोज़ी के कारण मत मारो क्योंकि रोज़ी देने वाला अल्लाह है जिसने तुम्हें रोज़ी दी और तुम्हारे बच्चों को भी देगा।"[11]

उपर्युक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करने का ध्येय केवल इतना सिद्ध करना है कि इस्लाम लिंग वैषम्य के विरुद्ध है और स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान कर समाज में अपना सहयोग करने पर बल देता है। फिर भी व्यवहारिक रूप से मध्य वर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों में इस प्रकार की भावना व्याप्त है। कुछ धार्मिक विश्वासों के कारण प्रायः मुस्लिम समाज में 'विस्तृत परिवार' को प्रोत्साहन दिया जाता है। किन्तु इस्लाम धर्म में प्रत्येक शिशु के समुचित पालन पोषण पर बल दिया गया है। परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण की भी कल्पना मिलती है[12] जिससे माता–पिता अपने बच्चों का सही ढंग से पालन कर सकें।

मुस्लिम बालिकाओं की 'सुरक्षा संबंधी समस्याएं' भी उनके शैक्षिक मार्ग का काँटा है। सह–शिक्षा में यह समस्या और अधिक हो जाती है। मार्गों की असुरक्षा के साथ–साथ शिक्षण संस्थाओं में भी वे अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। 'पर्दा'[13] इसका निराकरण प्रस्तुत करता है किन्तु पर्दा करने वाली बालिकाओं / महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें पिछड़ा मानकर उनका परिहास किया जाता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का वातावरण भी बालिकाओं के मध्य शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा

करता है। विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी/स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं में वित्तीय समस्याओं के चलते शैक्षिक वातावरण का प्रायः अभाव रहता है। पाठ्यक्रम में 'धार्मिक/दीनी शिक्षा के प्रति अरुचि' और उदासीनता रहती है। जबकि यही शिक्षा उनकी भौतिक और नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। विधिवत शिक्षा प्राप्त होने से पूर्व ही बालिकाओं का 'विवाह' हो जाना एक गंभीर समस्या है। विवाह हो जाने से लड़कियों पर जो उत्तरदायित्व आ जाता है उसका वहन करना सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड़की की स्वीकृति से विवाह करना शरीअत का तरीका है। सूरे निसा में अल्लाह कहता है – "तुम पर औरतों की स्वीकृति के बिना उन्हें अपनाना प्रतिबन्धित है।"[14] किन्तु साधारणतः बिना लड़की से स्वीकृति लिये उसका विवाह कर दिया जाता है जो कभी–कभी बेमेल साबित होता है। शिक्षा के अभाव में लड़कियाँ भी उचित निर्णय लेने की अवस्था में नहीं होती हैं।

यह मुस्लिम बालिकाओं का दुर्भाग्य ही है कि धर्म की ओर से इतनी सुरक्षात्मक व्यवस्था होने के बावजूद वह समाज में पिछड़ेपन का शिकार हैं। इस्लाम ने जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक अधिकारों द्वारा स्त्रियों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की है शिक्षा के अभाव में वह उनसे वंचित रहती हैं। स्त्रियों को अधीनस्थ रखना, पुरुषों द्वारा चार विवाह करने की स्वतंत्रता, पर्दा तथा तलाक द्वारा स्त्रियों में हीन भावना उत्पन्न करना, इस्लाम धर्म के विरुद्ध यह भ्रान्तियाँ सम्पूर्ण समाज में व्याप्त हैं, जिससे समाज के अन्य सम्प्रदायों तथा धर्म के लोगों में गलत धारणा बनी हुई है। बालिकाओं को दीन की शिक्षा मिलने पर वे स्वयं सच्चाई से अवगत होकर समाज में अपनी महती भूमिका को पहचान पायेंगी। धार्मिक शिक्षा की कमी उनके पिछड़ेपन का अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हो रही है। आज तथाकथित आधुनिक जीवन शैली से अप्रत्यक्ष रूप से वह जो वातावरण ग्रहण कर रही हैं वह उन्हें पथ भ्रष्ट करने वाला ही है। अतः धर्मानुकूल शिक्षा का प्रबन्ध करना बहुत बड़ी चुनौती है।

यह सत्य है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार कम है तथापि कुछ महिलाओं ने अपने–अपने क्षेत्र में सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया है। सानिया मिर्जा, शबाना आज़मी, असमा हुसैन, नजमा हेपतुल्ला, मोहसिना किदवई, फातिमा बी, शीमा रिज़वी आदि किसी परिचय की मोहताज नही हैं। कुर्रतुलऐन हैदर और इस्मत चुगताई को कौन नहीं जानता?इन महिलाओं का उदाहरण देने का प्रत्यक्ष कारण केवल यह है कि मुस्लिम महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। यद्यपि समाज की अधिकतर सफल महिलाओं ने धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा करके लौकिक सफलता अर्जित की है। जबकि मुसलमान महिलाओं को शरीअत के दायरे में रहते हुए ही सांसारिक उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। यही संभवतः मुस्लिम महिलाओं के लिये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना होगा। समाज में आशा की किरण विद्यमान है। आवश्यकता है समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह करें और महिलाओं के समक्ष आने वाली शिक्षा संबंधी चुनौतियों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। माता–पिता अपने उत्तरदायित्व को समझें और लड़कियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करें। उर्दू, अरबी आदि के माध्यम से दीन की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करें। शिक्षण संस्थाओं का वातावरण शैक्षिक और सौहार्दपूर्ण हो। उन्हें प्रकृति प्रदत्त गुणों के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो और रोजगारपरक शिक्षा द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। हस्तशिल्प में निपुण होकर वे स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकती हैं। इस्लाम में शरीयत के अन्तर्गत महिलाओं के जीविकोपार्जन को उत्साहित किया गया है।[15] शिक्षिकाएं स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें और सहशिक्षा को हतोत्साहित किया जाए। स्वयं को अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने में स्वयं बालिकाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षा हेतु माता–पिता द्वारा दी गई स्वतंत्रता का अनुचित लाभ न लेकर वह अपनी क्षमताओं के अनुकूल लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहें। अपनी प्राकृतिक विशिष्टताओं को

अपनी दुर्बलता न बनने दें। इस्लाम धर्म द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ–साथ वे अपने कर्तव्यों से भी अवगत हों और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें। अपने लिए सीमारेखा वे स्वयं निश्चित करें और उसमें रहकर सब प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करना सीखें। स्वयं पर विश्वास रखें तभी सही अर्थों में 'नारी सशक्तिकरण' संभव है क्योंकि "जहाँ चाह है वहाँ राह है।"

संदर्भ–

1. पवित्र कुरान, सूरेह इक़रा, 96, 1–5
2. हदीस इब्ने मजाह, 224
3. हदीस सही मुस्लिम, 2631
4. 97
5. डॉ0 नायक ज़ाकिर ,राइट्स ऑफ वूमेन इन इस्लाम, मार्डन और आउटडेटेड?दिल्ली, 2008, पृष्ठ 26–27

6 डॉ0 नायक ज़ाकिर ,राइट्स ऑफ वूमेन इन इस्लाम, मार्डन और आउटडेटेड?दिल्ली, 2008, पृष्ठ 15

7 डॉ0 आयशा फ़ातमी, राइट्स ऑफ वूमेन इन इस्लाम, (इन द लाइट ऑफ होली कुरान एण्ड हदीस)समाजबोध जर्नल, वाल्यूम 3 नं0 1, जनवरी–जून 2013, पृष्ठ 39

8 पवित्र कुरान, 16:97, 75:36 – 40, 49:13, 51:49 आदि

9. 33 : 35

10 81, 8 – 9

11. 6, 51
12. हदीस सही बुखारी, 7 : 136
13. पवित्र कुरान, 33 : 59
14. 4 : 19
15. हदीस बैहाकी 231 / 2, डॉ नाइक ज़ाकिर, वही, पृष्ठ 14